

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/753

दिनांक : 20.01.2026

आदेश

सां.आ. 150/2026 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 5 में सरपंच के निर्वाचन से संबंधित नियम 56 के उप-नियम (3) तथा पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों से संबंधित नियम 58 के उप-नियम (5)(a) में उपबन्धित है कि सरपंच तथा पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के लिए नाम-निर्देशन पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक उसके साथ साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 500/रु और महिला या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के मामले में 250/रु प्रतिभूति निक्षेप ना हो, जो ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में समपहृत हो जायेगा (ऐसे उम्मीदवारों के मामलों में जो निर्वाचित नहीं होते और असफल हो जाते हैं) जो निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त करने में विफल रहते हैं। अर्थात् यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचित हो जाए और भले ही उसे पंचायत या निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का षष्ठांश प्राप्त ना हुआ हो, तो भी उसको उसके द्वारा दिया गया प्रतिभूति निक्षेप लौटा दिया जायेगा।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/754-760 दिनांक 20.01.2026
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर), (पंचायत)।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), (कलक्टर)।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव